

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमांक-126/25

देवास दिनांक- 26.04.2025

::- रिमाण्ड ड्यूटी आदेश -::

मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. भा.ना.सु.सं. की धारा 13(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह मई एवं जून 2025** में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :

मुख्यालय देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी.	—	29
2	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	3, 4	—
3	श्रीमती निकिता वार्धेय, जे.एम.एफ.सी.	18	—
4	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	—	21, 22
5	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	25	15
6	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	—	1
7	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.	11, 12	—
8	श्रीमती चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी.	—	7, 8

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	श्री दशरथ सिंह, जे.एम.एफ.सी.	11, 12	—
2	श्रीमती परिधि गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	—	7, 8, 15
3	सुश्री निकिता पंवार, जे.एम.एफ.सी.	18, 25	21, 22
4	श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	3, 4	1, 29

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	श्रीमती आयुषी गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	3, 4,	1, 7, 8, 15
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	11, 12, 18, 25	21, 22, 29

तहसील मुख्यालय बागली

क	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	18	21, 22
2	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	3, 4	1, 7, 8
3	सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.	11, 12, 25	15, 29

तहसील मुख्यालय कन्नौद

क	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	कु. उषा उइके, जे.एम.एफ.सी.	—	1, 7, 8
2	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	3, 4, 18	21, 22
3	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	11, 12, 25	15, 29

तहसील मुख्यालय खातेगांव

क	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2025	जून 2025
1	श्रीमती राधा उइके, जे.एम.एफ.सी.	3, 4	1, 7, 8, 15
2	श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी.	11, 12, 18, 25	21, 22, 29

नोट -

1. उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से वर्ग रवय करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शाराकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह मई में श्रीमती किरण सिंह, माह जून में श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी जे.एम.एफ.सी., सोनकच्छ में माह मई में श्री शुभम गुप्ता जे.एम.एफ.सी., माह जून में सुश्री निकिता पंवार जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह मई में श्रीमती आयुषी गुप्ता जे.एम.एफ.सी., माह जून में श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., बागली में माह मई में सुश्री आयुषी मालवीय जे.एम.एफ.सी., माह जून में सुश्री वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में माह मई में श्रीमती सोनाली शर्मा जे.एम.एफ.सी., माह जून में श्री कुन्दन कछवाह, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगांव में माह मई में श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी. माह जून में श्रीमती राधा उइके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

2. यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।

3. उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन पदोत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं पद रिक्त रहने की दशा में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

(भारत सिंह कर्नल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला देवास